MANISH SISODIA
मनीष सिसोदिया

सत्यमेव जयते

DEPUTY CHIEF MINISTER
GOVT. OF NCT OF DELHI
उप मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार
DELHI SECTT, I.P. ESTATE,
दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट,
NEW DELHI-110002
नई दिल्ली–110002
Email : msisodia.delhi@gov.in

D.O. No. DY.CM/2022/6757
Date : 04/10/2022

आदरणीय उपराज्यपाल महोदय,

मैं रोज़ाना अख़बारों में देख रहा हूँ कि आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बाईपास करके रोज़ हमारे काम काज पर नई - नई जांच बिठा रहे हैं। आपकी ये सभी जाँच ग़ैरक़ानूनी और ग़ैरसंवैधानिक हैं।

मैं आपके संज्ञान में संविधान में दिए गए आपके अधिकारों को पुनः रेखांकित करना चाहता हूँ। दिल्ली में ज़मीन, पुलिस, पब्लिक आर्डर और सर्विसेज़ के अलावा बाकी सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया गया है और इन चार विषयों को छोड़ कर बाकी सभी मामलों में काम करने, न करने, रोकने या जांच करने का अधिकार संविधान के अनुसार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल - पुलिस, पब्लिक आर्डर, ज़मीन के विषयों को छोड़ कर अन्य सभी विषयों पर पर चुनी हुई सरकार की "Aid & Advice" पर ही काम करेंगे। चुनी हुई सरकार सहमति बिना आप इनमे से किसी भी विषय पर न तो कोई निर्णय ले सकते हैं, न ही रोक सकते हैं या जांच करा सकते हैं। आपको यदि किसी विषय पर जाँच करवानी है तो आपको संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री को लिखना होगा। इन चार विषयों को छोड़कर अन्य किसी भी विषय पर आप किसी भी अधिकारी को सीधे आदेश नहीं दे सकते।

देखने में आ रहा है कि रोजाना चुनी हुई सरकार के निर्णयों के विषय में मुख्य सचिव को आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं। आपके ये आदेश राजनीति से प्रेरित, गैर-कानूनी, असंवैधानिक और माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा आपके लिए निर्धारित कार्य-क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर हैं। चुनी हुई सरकार को पूरी तरह से बाहर कर आपके द्वारा इस प्रकार मनमर्ज़ी से लिए गए इन निर्णयों का पालन संभव नहीं है। अतः मुख्य सचिव को दिये गये ये आदेश वापिस लिए जायें। मेरा आग्रह है कि भविष्य में आप कृपया संविधान के अनुरूप कार्य करें।

ये आदेश सिर्फ़ राजनीति से प्रेरित हैं - ये इसी बात से साबित होता है कि आपके द्वारा अभी तक जितने भी जाँच के आदेश दिए गये, किसी में कुछ नहीं निकला। तथाकथित शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, बस ख़रीद घोटाले और ना जाने क्या क्या। इस क़िस्म की फ़र्ज़ी जाँचों से किसी का भला नहीं होता। सभी विभागों का समय बर्बाद होता है और सभी अधिकारियों का मनोबल टूटता है।

आदर सहित

भवदीय

मनीष सिसोदिया

श्री वी.के. सक्सेना,
माननीय उपराज्यपाल,
दिल्ली सरकार, राजनिवास मार्ग,
दिल्ली-110054